

नागरिकता

नागरिकता का अर्थ-

राज्य की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें ही मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं जो नागरिक होते हैं,निश्चित रूप से राज्य के अंदर कुछ अधिकार गैर नागरिकों को भी प्रदान किये जाते हैं लेकिन उन अधिकारों की प्रकृति साधारण और राजनीतिक व्यवस्था में अप्रभावकारी होती है

नागरिकता की परिभाषाएं -

कैटलिन के अनुसार-

"नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वह राजनीतिक रूप में संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर राजनीतिक एवं सामाजिक लाभ प्राप्त करता है I"

लास्की के अनुसार-

"नागरिक से आशय उस व्यक्ति से है जो संगठित समाज का सदस्य मात्र ही नहीं बल्कि वह संगठित समाज के आदेशों का वाहक एवं कर्तव्यों का स्वाभाविक पालन कर्ता भी होता है"किसी राष्ट्र के संपूर्ण सदस्य होने का महत्व तब ठीक ठीक समझ में आ सकता है जब हम दुनिया भर में उन हजारों लोगों की स्थिति के बारे में सोचते हैं जो दुर्भाग्यवश शरणार्थी और अवैध प्रवासियों के रूप में रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उन्हें कोई राष्ट्र अपनी सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं है ऐसे लोगों को कोई राष्ट्र अधिकारों की गारंटी नहीं देता और वे आम तौर पर असुरक्षित हालत में जीवन यापन करते हैं! मनपसंद राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता उनके लिए ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए वे संघर्ष करने को तैयार हैं जैसा की मध्यपूर्व के फिलिस्तीनी शरणार्थियों के मामले में देखते हैं!

नागरिकों को प्रदत्त अधिकार-

नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों की सुस्पष्ट प्रकृति विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न-भिन्न हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोकतांत्रिक देशों ने आज उनमें कुछ राजनीतिक अधिकार शामिल किये हैं। उदाहरणस्वरूप, मतदान, अभिव्यक्ति या आस्था की आजादी जैसे नागरिक अधिकार और न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने से जुड़े कुछ सामाजिक-आर्थिक अधिकार।

नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा नहीं है इसका समानता और अधिकारों के व्यापक उद्देश्यों से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है इस सम्बन्ध का सूत्रीकरण अंग्रेज समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल (1893 - 1981) ने किया है अपनी पुस्तक 'नागरिकता और सामाजिक वर्ग' (1950) में मार्शल ने नागरिकता को ' किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित किया है'

मार्शल नागरिकता में तीन प्रकार के अधिकारों को शामिल मानते हैं ,नागरिक ,राजनीतिक और सामाजिक!

१. नागरिक अधिकार - नागरिक अधिकार व्यक्ति के जीवन आजादी और जायदाद की हिफाजत करते है!

२.राजनीतिक अधिकार-राजनीतिक अधिकार व्यक्ति को शासन प्रक्रिया में सहभागी बनने की सकती प्रदान करते है !

३.सामाजिक अधिकार- सामाजिक अधिकार व्यक्ति के लिए शिक्षा और रोजगार को सुलभ बनाते है !

मार्टिन लूथर किंग का नागरिक अधिकार आंदोलन- 1950 का दसक संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक दक्षिणी राज्यों में कालों और गोरो की आबादी के बीच बरकरार विषमताओं के खिलाफ नागरिक अधिकार

आंदोलन के उभार का साक्षी है इस तरह की विषमताएं इन राज्यों द्वारा पृथक्करण कानून के नाम से चर्चित ऐसे कानूनों के जरिये पोषित होती थी! जिससे काले लोगों को अनेक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाता था इन कानूनों के खिलाफ वे आंदोलन में मार्टिन लूथर अंग्रेजी काले नेता थे उन्होंने इनके खिलाफ अनेक अकाट्य तर्क दिये -

१. आत्मगौरव व आत्मसम्मान के मामले में विश्व की हर जाति या वर्ग का मनुष्य बराबर है!

२.पृथक्करण राजनीति के चेहरे पर सामाजिक कोढ़ की तरह है क्योंकि यह उन लोगों को गहरे मनोवैज्ञानिक जख्म देता है जो ऐसे कानूनों के शिकार है ! किंग ने कहा पृथक्करण की प्रथा गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता भी काम करती है उदाहरण -

गोरे समुदाय ने अदालत के निर्देशानुसार कुछ सामुदायिक उद्यानों में काले लोगों को प्रवेश देने की इजाजत देने की वजाय उन्हें बंद करने का फैसला किया जिस कारण कुछ बेसबॉल टीमों टूट गयी!

३.पृथक्करण कानून लोगों के बीच कृत्रिम सीमाएं खींचते है देश के व्यापक निति के लिए एक दूसरे का सहयोग करने से रोकते है इसलिए किंग ने बहस छोड़ी कि इन कानूनों को खत्म किया जाये !

नागरिकता प्राप्त करने की विधि -

१. निश्चित समय के लिए निवास- यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर बहुत समय के लिए रहे तो वह प्रार्थना पत्र देकर वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकता है ! सभी देशों में निवास की अवधि निश्चित है!

२. विवाह- यदि कोई स्त्री किसी दूसरे देश के नागरिक से शादी कर लेती है तो उसे अपने पति की नागरिकता प्राप्त हो जाती है उदाहरण- भारत, जापान में इसके उलट नियम है कोई विदेशी जापान की स्त्री से शादी कर लेता है तो उसे जापान की नागरिकता प्राप्त हो जाती है !

३. **संपत्ति खरीदना-** यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश में संपत्ति खरीदता है तो उसे उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है-ब्राज़ील ,पिरु में ऐसा नियम है !

४.**गोद लेना-** जब एक राज्य का नागरिक किसी दूसरे देश के नागरिक को गोद लेता है तो गोद लिए गए व्यक्ति को अपने पिता की नागरिकता प्राप्त हो जाती है !

५.**विजय द्वारा-**जब एक राज्य दूसरे राज्य को विजय करके अपने राज्य में मिला लेता है तो परास्त राज्य के नागरिकों को विजयी राज्य की नागरिकता मिल जाती है!

नागरिकता समाप्ति की विधि-

१.कई देशों में यदि उनका नागरिक लम्बे समय तक बाहर रहे तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है ,फ्रांस में दस वर्ष की अनुपस्थिति में नागरिकता समाप्ति का प्रावधान है !

२. कई देशों में सरकारें अपने नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार किसी दूसरे देश का नागरिक बनने की आज्ञा प्रदान कर देती है इस प्रकार व्यक्ति अपनी जन्मजात नागरिकता त्याग कर देता है !

३. यदि कोई बच्चा किसी विदेशी द्वारा गोद ले लिया जाये तो बच्चे की नागरिकता समाप्त हो जाती है वह अपने नए माता पिता की नागरिकता प्राप्त कर लेता है !

४.यदि किसी देश का नागरिक अन्य देशों में संपत्ति खरीद ले तो वह उस देश का नागरिक बन जायेगा और उसके अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी !

भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधान-

१. भारत की नागरिकता प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जो देश भारतीयों को नागरिकता प्रदान नहीं करता !

२.भारत की नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने की तारीख से पहले वह या तो एक वर्ष तक भारत में निवास करता रहा हो अथवा सरकारी सेवा में हो !

३. संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गयी भाषाओं में से किसी एक भाषा के ज्ञान होना चाहिए !

४.यदि किसी विदेशी ने विज्ञान कला दर्शन साहित्य या विश्व शांति या मानव विकास की क्षेत्र में कोई विशेष योग्यता प्राप्त कर ली है तो उसे उपयुक्त शर्तों के बिना भारत के नागरिक बनाया जा सकता है !

महत्वपूर्ण प्रश्न -

१.नागरिक का अर्थ लिखिए ?

२.नागरिक की दो परिभाषाएं लिखिए ?

३. नागरिकों को कौन-कौन से अधिकार दिये जाते हैं ?

४.मार्टिन लूथर किंग का नागरिक अधिकार आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए ?

५.नागरिकता प्राप्त करने की विधियों का वर्णन कीजिए ?

६. भारतीय नागरिकता अधिनियम -1955 के प्रावधान बताइये ?

सन्दर्भ पुस्तकें-

1.राजनीतिक सिद्धांत कक्षा-११ ,उत्तराखंड (NCERT)

2.M.B.D राजनीति विज्ञान कक्षा-११ By V.K Puri (Trade Mark No-325406)

3.प्रतियोगिता दर्पण राजनीति विज्ञान (Code No-866)